

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

क्रमांक :- रा0लो0अ0-18 / केम्प / 18 / 4067

दिनांक :- 12/6/18

तहसीलदार,
टोंक।

विषय :- प्रकरण संख्या- 53/2018 में जारी आदेशों की पालना में पत्थर गढी किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थीगण ने न्याय आपके द्वार अभियान-2018 के तहत ग्राम पंचायत हरचन्देडा में आयोजित राजस्व लोक अदालत/केम्प कोर्ट में उपस्थित होकर आवेदन पत्र मे अंकित निम्न वर्णित भूमि की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया गया था। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आपको आदेशित किया जाता है कि निम्न वर्णीत भूमि :-

आवेदक का नाम व पता	आवेदित भूमि का विवरण	विशेष विवरण
रामस्वरूप पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी वजीरपुरा, भगवान सिंह पुत्र दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासी लहन, अनिल पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी लहन समस्त तहसील टोंक, रूपा पत्नि कान्हा जाट निवासी गनवर तहसील मालपुरा जिला टोंक।	ग्राम चन्दलाई पटवार हल्का चन्दलाई तहसील टोंक की जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 148 की भूमि आराजी खसरा नम्बर 357/3 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 358/2 रकबा 12 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1216/3 रकबा 9 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा।	मौके पर प्रार्थीगण/वादीगण का कब्जा, काश्त हो एवं किसी न्यायालय से स्थगन ना हो तो पत्थरगढी कर पालना से अवगत करावे।

निर्देशित किया जाता है कि उक्त वर्णित आराजीयात की नियमानुसार पत्थरगढी करवाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करावे।

सलंगन:-


उपखण्ड अधिकारी टोंक